

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 4/2020

1. कमलेश बाई पत्नि हेमराज
2. ममता बाई पत्नि महेन्द्र कुमार जातियान धाकड निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल

.....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0



पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा


दायरा दिनांक: 26.03.2020


निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खाता संख्या नया 43 ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में दर्ज आराजी खसरा नं0 626/1080 रकबा 0.64 है0 के रेकार्डड खातेदार है वर्तमान राजस्व नक्शा आराजी निम्न प्रकार से है:-




नक्शे की सत्य प्रतिलिपि व जमाबंदी खसरा नं0 626 व 626/1080 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी का खसरा नं0 626/1080 का रकबा 0.64 है0 का है और खसरा नं0 626 का रकबा 0.15 है0 का है, रकबे के अनुसार सही नक्शा निम्न प्रकार होना चाहिए:-




उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

नक्शा काटते समय राजस्व कार्मिको ने प्रार्थीयागण खसरा नं० 626/1080 रकबा 0.64 है० नक्शे में नीचे दर्ज कर दिया है, और खसरा नं० 626 कारकबा 0.15 है० नक्शे में ऊपर दर्ज कर दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि बड़े रकबे का नक्शा बड़ा होना चाहिए और छोटे रकबे का नक्शा छोटा होना चाहिए। प्रार्थीयागण राजस्व नक्शे ऊपरी हिस्से अर्थात् उत्तर की ओर काशत कर रहे है जहां पर वर्तमान में खसरा नं० 626 दर्ज हो रहा है इस खसरा नं० 626 के स्थान पर खसरा नं० 626/1080 रकबा 0.64 है० दर्ज होना चाहिए जो सही है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 26.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल जो लैण्ड होल्डर है तथा राज्य सरकार का पैरोकार है को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र क्रमांक/भू०अ०/2021/04 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम किशनपुरा की जमाबंदी के खाता संख्या 43 खसरा नं० 626/1080 रकबा 0.64 है० कमलेश बाई पत्नि हेमराज हिस्सा 1/2 ममता बाई पत्नि महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 जाति धाकड सा० मांगरोल खातेदार रहन बीओबी शाखा मांगरोल और खाता संख्या 85 खसरा नं० 626 रकबा 0.15 है० ओम प्रकाश पुत्र हीरालाल वगै० जाति कुम्हार सा० खातेदार शेष खाता बदस्तुर जमा के खाते दर्ज है। खसरा नं० 626 और 626/1080 का नजरी नक्शा मुताबिक राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा निम्नानुसार है:-



उक्त नजरी नक्शे में बाद रकबा बरारी खसरा नं० 626 का रकबा 0.64 है० और खसरा नं० 626/1080 का रकबा 0.15 है० प्राप्त होता है अर्थात् खसरा नं० 626 का रकबा खसरा नं० 626/1080 के रकबे से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। जबकि मुताबिक रेकार्ड जमाबंदी खसरा नं० 626 का रकबा 0.15 है० और खसरा नं० 626/1080 का रकबा 0.64 है० दर्ज है अर्थात् खसरा नं० 626/1080 का रकबा खसरा नं० 626 के रकबे से ज्यादा है स्पष्ट है कि उत्तरी हिस्से का रकबा 0.64 है० और दक्षिणी हिस्से का रकबा 0.15 है० दर्ज है अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त तरमीम खसरो में नम्बर इन्द्राज सहवन से गलत दर्ज हो गया है अर्थात् उत्तरी दिशा में खसरा नं० 626/1080 के स्थान पर खसरा नं० 626 व दक्षिण दिशा में खसरा नं० 626 के स्थान पर 626/1080 गलत इन्द्राज हो गया है। ग्राम किशनपुरा की वर्तमान नक्शे

डिप्टी सप्लाइ अधिकारी
भागदोल जिला गावों (राज्य०)

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

लट्टे में उत्तरी दिशा में खसरा नं० 626 के स्थान पर खसरा नं० 626/1080 और दक्षिणी दिशा में खसरा नं० 626/1080 के स्थान पर खसरा नं० 626 दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की इकबालिया रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार ग्राम किशनपुरा की वर्तमान नक्शे लट्टे में उत्तरी दिशा में खसरा नं० 626 के स्थान पर खसरा नं० 626/1080 और दक्षिणी दिशा में खसरा नं० 626/1080 के स्थान पर खसरा नं० 626 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फौशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(शत्रुघ्न सिंह गुजर)
मांगरोल (जिला बल्लियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल